

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई०एस०ओ० 9001-2008 प्रमाणित संस्थान)

Website- www.bseh.org.in

E-Mail: asaffi@bseh.org.in

प्रेषक:- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी-127021	सेवा में, मुख्याध्यापक/प्राचार्य, सभी सम्बन्धित अराजकीय विद्यालय।
--	---


क्रमांक.....१६३...../सम्बद्धता

दिनांक: 15-07-2024

विषय:- हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्ज-2003 अनुसार विद्यालय के मापदण्ड पूर्ण करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्ज-2003 में वर्णित नियमों अनुसार आप अपने विद्यालय के मापदण्ड पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमानुसार सभी स्थाई/अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता रखते हैं, उनका समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना है।

हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्ज-2003 के अनुसार मापदण्ड पूर्ण न होने की अवस्था में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धता विनियमों एवं एजुकेशन रूल्ज-2003 के अंतर्गत आपके विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए विद्यालय जिम्मेवार होगा।


सहायक सचिव (सम्बद्धता)
कृते: सचिव।